(b) According to available information, 19,170 industrial disputes and 17,926 applications were pending as on 31-3-95 with the various Industrial Tribunals|Labour Courts set up by the Government of National Capi. tal Territory of Delhi. The corresponding figures in respect of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court at New Delhi are 699 industrial disputes and 1334 applications.

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्ट

6820. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री आस मोहम्मद :
श्री के० रहमान खान

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवास अधिनियम 1983 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1995 तक पंजीकृत भर्ती एजन्टों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) एजन्टों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान एजन्टों द्वारा कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई ;

(ग) की गई भर्ती का देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1992-93 से आज तक नियमों के उल्लंघन के लिए कितने एजन्टों के लाइसेंस रद्द किए गए ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 31 मार्च, 1995 तक उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I (नीचे देखिए) संलग्न है।

(ख) और (ग) उत्प्रवास अनुमतियों और उत्प्रवास जांच अपेक्षित नहीं (ई० सी० एन० आर०) पृष्ठांकनों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़े कलैण्डर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान जारी की गयी राज्य वार उत्प्रवास अनुमतियों/उ० जां० अ० नहीं पृष्ठांकनों को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है । (नीचे देखिए)

(घ) 1992-93 से अब तक की अवधि के दौरान कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

विवरण-I

31 मार्च 1995 तक उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की संख्या :

राज्य	भर्ती एजन्टों की संख्या
महाराष्ट्र	1369
दिल्ली	531
तमिलनाडु	142
केरल	141
पंजाब	83
आंध्र प्रदेश	54
चंडीगढ़	47
उत्तर प्रदेश	37
कर्नाटक	31
राजस्थान	27
हरियाणा	13
गोवा	11
गुजरात	11
पश्चिम बंगाल	9
उड़ीसा	5
जम्मू एंम कश्मीर	5
मध्य प्रदेश	4
बिहार	3
हिमाचल प्रदेश	2
असम	1
कुल :	2526

विवरण-- II

उन कर्मकारों की देशवार संख्या जिन्हें वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान उत्प्रवास अनुमतियां उ० प्र० अ० नहीं पृष्ठांनों को अनुमति प्रदान की गई :--

देश	1992	1993	1994
बहरीन	16,458	15,622	13,806
ओमान	40,900	29,056	25,142
संयुक्त अरब अमीरात . .	60,493	77,066	75,762
किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया . .	2,65,180	2,69,639	2,65,875
कुवैत	19,782	26,981	24,324
अन्य . .	13,971	19,974	20,476
कुल :	4,16,784	4,38,338	4,25,385

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति

6821. श्री रामजेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 1994 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लगभग 76,000 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है ;

(ख) यदि नहीं तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इनमें से पुनः काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को प्रशिक्षण इत्यादि देकर पुनः नियोजित करने की योजना आरम्भ की है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-3-95 की स्थिति के अनुसार 61 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 75,756 कर्मकारों ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की सहायता प्राप्त स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय नवीकरण निधि अन्य बातों के साथ-साथ, औद्योगिक पुर्नसंरचना के परिणाम स्वरूप योक्तिकृत कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण और पुर्ननियोजन का खर्च पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत कर्मकारों को सलाह देने, पुनःप्रशिक्षित करने और पुर्ननियोजित करने संबंधी योजना को 9-9-93 को अनुमोदित किया गया था। अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता, इंदौर और कानपुर स्थित विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्रों के माध्यम